72
2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 77/2018 (RCMS 2018/00145) गृह फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय गृह नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लैबोरेट्री श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री पवन सैनी पुत्र स्व. श्री भंवरलाल सैनी, निवासी वार्ड नं. 19 (पुराना वार्ड 14), बैंक ऑफ इण्डिया के पास, सूरतगढ श्रीगंगानगर 2. श्रीमती सुनिता सैनी पत्नी श्री पवन सैनी निवासी वार्ड नं 19(पुराना वार्ड 14), बैंक ऑफ इण्डिया के पास, सूरतगढ श्रीगंगानगर

16.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता उपस्थित **है।** उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक का कथन है कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November, 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी– GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण श्री पवन सैनी एवं श्रीमती सुनिता सैनी को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 10,00,000/–रूपये (अखरे रूपये दस लाख़ मात्र) दिनांक 29.01.2010 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी पवन सैनी पुत्र स्व. श्री भंवरलाल सैनी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान स्थित वार्ड नं 20, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 02.05.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 27.02.2018 को 9,34,722/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 27.02.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया ।

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण के नाम दैनिक कृषि प्रभात एवंम दैनिक युगपक्ष समाचार पत्र दिनांक 27.03.2018 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी पवन सैनी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री पवन सैनी की उक्त अचल सम्पति आवासीय मकान स्थित वार्ड नं 20, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि Ministry of Finance (Departmnet of Economic Affairs) (Banking Division) Notification New Delhi, the 10th November , 2003 के क्रम संख्या 11 पर प्रार्थी कम्पनी GRUH Finance Limited, Ahmedabad का नाम अंकित है जिसके अनुसार प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है इसलिए कम्पनी गृह फाईनेंस लिमिटेड को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

77/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर भी पाया गया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी श्री पवन सैनी एवं श्रीमती सुनिता सैनी को दिनांक 29.01.2010 को ऋण सुविधा के रूप में 10,00,000/—(अखरे रूपये दस लाख) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्री पवन सैनी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड नं 20, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगरए जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **02.05.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणी को जारी रजिस्टर्ड नोटिस धारा 13(2) के लेने इंन्कार करने पर पुनः श्री पवन सैनी एवं श्रीमती सुनिता सैनी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस नोटिस दैनिक कृषि प्रभात दिनांक 27.03.2018 में एवं दैनिक युगपक्ष समाचार पत्र दिनांक 27.03.2018 में प्रकाशित करवाये गये।** इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक की बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

77
2018

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पति आवासीय मकान** स्थित वार्ड नं 20, सूरतगढ, जिला श्रीगंगागनर जो ऋणी पवन सैनी के नाम से है और **जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

जहां तक धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस की तामील का प्रश्न है उक्त नोटिस लेने से इंन्कार करने पर श्री पवन सैनी व श्रीमती सुमिता सैनी के धारा 13(2) नोटिस पुनः दैनिक कृषि प्रभात, बीकानेर एवं दैनिक युगपक्ष बीकानेर में दिनांक 27.03.2018 मे प्रकाशित करवाये गये इस प्रकार अप्रार्थीगण पर उक्त नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण** ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री पवन सैनी द्वारा बंधक रखी गई उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी कम्पनी गृह फाईनंस लिमिटेड स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, नजदीक टण्डन लैबोरेट्री, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत **धारा 14**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

77/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड नं 20, सूरतगढ जिला श्रीगंगागनर** जो कि ऋणी श्री पवन सैनी के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर